

पुनश्च: (10.03.2018)

पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदिका श्रीमती किरन यादव द्वारा अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

परिवादी रामभरोसे शिक्षा समिति द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता उपस्थित।

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री ए 0के0 गुप्ता) के मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 42/12 का मूल अभिलेख प्राप्त।

आवेदिका के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदिका किरन यादव के मामा देशराज यादव के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में व्यक्त किया गया है कि यह आवेदिका का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

आवेदिका श्रीमती किरन यादव के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदिका की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह अनावेदक क्रमांक 02 अर्थात् केशव सिंह के छोटे भाई दिलीप सिंह की पत्नी है और महिला होकर इज्जतदार नागरिक है। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अग्रिम जमानत का आदेश भी 30 दिवस के लिए किया है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया है और जमानत निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

परिवादी रामभरोसे शिक्षा समिति की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है और व्यक्त किया गया है कि शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष केशव सिंह का आवेदिका से राजीनामा हो गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि परिवादी के अनुसार सहअभियुक्त दिलीप सिंह यादव परिवादी संस्था का पूर्व अध्यक्ष था। उसके द्वारा दिनांक 28.01.14 को संस्था के अध्यक्ष के पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के कारण वे इस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे तथा केशव सिंह यादव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, परंतु दिलीप सिंह ने स्वयं को अध्यक्ष बताते हुए अपनी पत्नी श्रीमती किरन यादव के नाम से संस्था गठित करके परिवादी संस्था की सम्पत्ति का बयनामा दिनांक 18.12.2006 को निष्पादित कर दिया। उक्त परिवाद दिनांक 02.02.2012 को पंजीबद्ध किया और श्रीमती किरन यादव एवं दिलीप सिंह के विरुद्ध धारा-420, 467, 468 भा0दं0सं0 के तहत संज्ञान

लिया गया।

मूल अभिलेख में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की एम.सी.आर.सी. क्रमांक 5097/2018 श्रीमती किरन यादव बनाम रामभरोसे शिक्षा समिति आदेश दिनांक 12.02.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है, जिसके अनुसार आवेदिका का आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवेदिका का आवेदन अंतर्गत धारा- 437 दं०प्र०सं० इस आधार पर निरस्त किया है कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदिका का अग्रिम जमानत का आदेश किया जा चुका है। उभयपक्ष को राजीनामे हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त अग्रिम जमानत आदेश की मंशा को देखते हुए आवेदिका को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदिका का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया।

अतः आदेशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती किरन की ओर से विचारण/संबंधित न्यायालय के समक्ष 50,000/-रुपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-

1. आवेदिका विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होती रहेगी।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगी।
3. फरार नहीं होगी
4. विचारण में सहयोग करेगी।
5. विचारण के दौरान अभियुक्ता समान अपराध कारित नहीं करेगी।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर यह जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड